राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

शुद्धि पत्र संख्या – 05/2022–23

क्रमांकः एफ 7(13) भर्ती/H.C.T./Med. & Health/EP-I/2021-22/153 दिनांक : 23.08.2022

आयोग के वि.सं. 06/2022–23 दिनांक 23.05.2022 द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के लिए हॉस्पिटल केयर टेकर के कुल 55 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये थे। कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.05.2022 द्वारा उक्त पदों हेतु चयन प्रक्रिया में संशोधन किये जाने के कारण उक्त पदों हेतु **पुनः ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते है** तथा इस संबंध में निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है :–

1. उक्त विज्ञापन में उल्लेखित चयन प्रक्रिया को अब निम्नानुसार पढ़ा जावें :–

   "अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। आवश्यकता होने पर आयोग द्वारा उत्तरपत्रक/उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग/मोडरेशन/नॉर्मलाईजेशन (सामान्यीकरण) पद्धति को अपनाया जा सकेगा।"

2. उक्त विज्ञापन में वर्णित शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान में अंकित अभिव्यक्ति "साक्षात्कार से पूर्व" के स्थान पर "लिखित परीक्षा से पूर्व" पढ़ा जावें।
3. विज्ञापन के अंतर्गत जहां कहीं भी "संवीक्षा परीक्षा" शब्द का उल्लेख है, उसके स्थान पर "लिखित परीक्षा" पढ़ा जावें।
4. उक्त विज्ञापन में उल्लेखित "संवीक्षा परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम" के स्थान पर "लिखित परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम" पढ़ा जावें। उक्त पदों की लिखित परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाईट पर शीघ्र ही जारी किया जायेगा। उक्त पदों हेतु लिखित परीक्षा की योजना (Scheme of Examination) निम्नानुसार रहेगी :–

Scheme of examination for the post of Hospital Care Taker				
S.No.	Subject	No. of Questions	Total Marks	Examination Duration
Part-A	General Knowledge of Rajasthan	30	30	2.30 Hours
Part-B	Hospital/Health Care Management/Administration	120	120	
	Total	150	150	

   1. The competitive examination shall carry 150 marks and 150 questions of Multiple Choice Type questions.
   2. There shall be one paper. Duration of Paper will be Two hours and Thirty Minutes.
   3. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one-third of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.
   Explanation :- Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.

5. ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग के ऑनलाईन पोर्टल https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम बार One Time Registration (OTR) करने हेतु अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेण्डरी/समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आई.डी. में से किसी एक आई.डी. प्रूफ के विवरणों का इन्द्राज एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे।
6. अभ्यर्थी द्वारा One Time Registration करने के पश्चात् OTR Profile में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेण्डरी/समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आई.डी. विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। **अतः OTR करने से पूर्व आधार/जनाधार/ SSO प्रोफाइल में अंकित विवरण का शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित प्रविष्टियों से सावधानीपूर्वक मिलान सुनिश्चित कर लेंवे। यदि इसमें कोई अन्तर है तो जनाधार कार्ड/आधार कार्ड/ SSO ID की प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन (Correction) कराने के पश्चात् ही OTR पंजीयन व आवेदन फॉर्म भरने की कार्यवाही करें।**
7. उक्त पदों हेतु अभ्यर्थी **दिनांक 25.08.2022 से दिनांक 05.09.2022 को रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।** इसके पश्चात् लिंक निष्क्रिय हो जायेगा।
8. <u>**ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना :–**</u> ऑनलाईन आवेदन करने वाला कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो **आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात् 10 दिवस के भीतर** निर्धारित **शुल्क रूपये 500/– देकर** Online संशोधन कर सकता है। आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा तिथि से 45 दिवस पूर्व 10 दिन के लिए ऑनलाईन ऐडिट हेतु विकल्प खोला जायेगा जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी के फोटो, नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन किये जा सकते है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। **One Time Registration लागू किये जाने के कारण ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग में किसी भी स्तर पर कोई संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन के पश्चात् किसी भी प्रकार का त्रुटि सुधार नहीं किया जाएगा।**
9. जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में उक्त पदों हेतु आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 06/2022–23 दिनांक 23.05.2022 के तहत् ऑनलाईन आवेदन किया जा चुका है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है तथा उन्हें पूर्व आवेदन के समय विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों की पालना पूरी करने के आधार पर पात्र माना जायेगा। **पूर्व में आवेदित अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन कर सकते है।**
10. उक्त पदों हेतु अन्य शर्तें पूर्व में जारी विज्ञापन के अनुसार यथावत् रहेगी।

(एच.एल. अटल)
सचिव